छत्रीपुल पर रजिस्ट्रार कार्यालय भवन निर्माण की घोषणा से हर्ष

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कलेक्टर को धन्यवाद देते अभिभाषक

छत्रीपुल पर स्थित नजूल भूमि से हटाए अतिक्रमण और वहां पर रजिस्ट्रार कार्यालय के भवन निर्माण की घोषणा को लेकर अभिभाषकों में हर्ष है। जिला प्रशासन द्वारा छत्रीपुल की नजूल भूमि पर भवन बनाकर रजिस्ट्रार कार्यालय को स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।

रजिस्ट्रार कार्यालय के स्थानांतरण से नागरिकों, दस्तावेज लेखकों व अभिभाषक साथियों को काफी सुविधा मिलेगी। संघ अध्यक्ष अभय शर्मा, सचिव विकास पुरोहित व उपाध्यक्ष नीरज सक्सेना ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिलकर उन्हें पत्र देकर बताया कि जिला अभिभाषक संघ लंबे समय से रजिस्ट्रार कार्यालय को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग करता आ रहा था। वर्तमान में कार्यालय महलवाड़ा के जर्जर भवन में संचालित होने से अभिभाषकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जनसुनवाई में मिले 54 आवेदनों का निराकरण

रतलाम | कलेक्टोरेट में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में 54 आवेदक ने विभिन्न समस्या लेकर आए। अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिडे, एसडीएम अभिषेक गेहलोत सहित अन्य ने जानकारी लेकर समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। ताल निवासी हेमंत सूर्यवंशी ने जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने, कस्तूरबानगर निवासी मोहनलाल शर्मा ने किराएदार द्वारा मार्च व जून से नवंबर तक का सात माह का किराया और बिजली बिल नहीं भरने की शिकायत की। प्रकरण एसडीएम शहर को भेजा है।

दै. भास्कर 8/12/21

कलेक्टर को किया धन्यवाद ज्ञापित

छत्री पुल की नजूल की जमीन पर बनेगा जिला पंजीयक कार्यालय

जिला अभिभाषक संघ ने रजिस्ट्रार कार्यालय भवन निर्माण की घोषणा पर हर्ष जताया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. हाल ही में छत्रीपुल में जिस जमीन से अतिक्रमण हटाकर मुक्त किया गया उस नजूल की जमीन पर जिला प्रशासन ने जिला पंजीयक कार्यालय के भवन निर्माण की घोषणा की है। कलेक्टर की इस घोषणा से अभिभाषकों में हर्ष व्याप्त है। संघ अध्यक्ष अभय शर्मा, सचिव विकास पुरोहित एवं उपाध्यक्ष नीरज सक्सेना ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को पत्र देकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके निर्णय को जनता के हित में बताया।

संघ अध्यक्ष अभय शर्मा ने बताया कि जिला अभिभाषक संघ लंबे समय से रजिस्ट्रार कार्यालय को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग करता आ रहा था। वर्तमान में रजिस्ट्रार कार्यालय महलवाड़ा के जर्जर भवन में संचालित होने से अभिभाषकों को न्यायालयीन कार्य के साथ-साथ वहां जाने-आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पता चला कि जिला प्रशासन द्वारा छत्रीपुल की नजूल भूमि पर भवन बनाकर रजिस्ट्रार कार्यालय को स्थानांतरित करने की योजना बनायी है। रजिस्ट्रार कार्यालय के स्थानांतरण से आम नागरिकों, दस्तावेज लेखको एवं अभिभाषकों को काफी सुविधा मिलेगी। जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को गुलदस्ता भेंट कर इस निर्णय की सराहना की।

पत्रिका

पत्रिका 8/12/21

नियत समय पर जल प्रदाय की मांग को लेकर जनसुनवाई में दिया आवेदन

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नल में आ रहा गंदा पानी, जलप्रदाय नियत समय पर नहीं, एनाउंसमेन्ट भी नहीं इत्यादि शिकायत को लेकर नागरिकों का प्रतिनिधि मंडल जनसुनवाई में जिलाधीश कार्यालय पहुंचा। जनशक्ति संयोजक राधावल्लभ खण्डेलवाल ने बताया कि जलप्रदाय के दौरान अक्सर गन्दा पानी आता है ।2 दिसम्बर गुरुवार को स्टेशन रोड, टी.आई.टी रोड,फ्रीगंज ,मित्र निवास रोड इत्यादि अनेक क्षेत्रों में कीचड़ की तरह गंदा पानी आया जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। स्वच्छता अभियान समिति के अध्यक्ष अनोखीलाल कटारिया एवं समाजसेवी मांगीलाल जैन ने बताया कि पूर्व में भी इस संदर्भ में शिकायत की जा चुकी है किन्तु कोई सुधार नहीं। प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग की गई कि जलप्रदाय के दौरान स्वच्छ पानी आए ,नियत समय पर पर्याप्त दवाब के साथ कम से कम एक घंटा जलप्रदाय हो, यदि किसी कारणवश समय पर जल प्रदाय नहीं होता है तो 30 मिनट पूर्व सूचना दी जाए ।एनाउंसमेन्ट स्पष्ट आवाज में होना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में सत्री छिपानी,किरण कापड़िया ,अशोक जैन ,अशोक शर्मा ,कौशिक अग्रवाल,अमन जैन ,गौरव सराफ ,रवि अग्रवाल इत्यादि उपस्थित थे।

स्वदेश 8/12/21

खुले में गंदगी करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर अश्विन बाजना बस स्टैण्ड पर 200, अमित गौशाला रोड, बबलू, अजय लकड़पीठा रोड, रिंकू जैन, संग्राम सिंह सागोद रोड पर 100-100, दीपक, राहूल, अशोक, कालूराम गौशाला रोड, लखन बाजना बस स्टैण्ड, अमित सागोद रोड पर 50-50 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 17 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी पर्वत लड़े मो. नं. 7471144931, किरण चौहान मो.नं. 7471144932, विनय चौहान मो.नं. 8770535145, विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झाझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झाझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

प्रसारण 8/12/21

64 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को 64 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 19310, ट्रैक्टर-ट्राली से 8235, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18205, काम्पेक्टर गीला कचरा 19050 कुल 64800 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

5946 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार तक 5946 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

नईदुनिया 8/12/21

कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित

रतलाम। मध्यप्रदेश में सिटी गैस वितरण नेटवर्क/अधोसंरचना निर्माण एवं विस्तार का कार्य 25 जिलों में चल रहा है। राज्य शासन द्वारा इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों एवं विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ आदि समय-सीमा में सुनिश्चित कराने के लिये जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक, वन मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महाप्रबंधक/प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण/जल-संसाधन, आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप संचालक नगर निवेश, जिला परिवहन अधिकारी और प्राधिकृत सीजीडी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रसारण

प्रसारण 8/12/21

कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित

सिंघम रिपोर्टर ❒ रतलाम

सिंघम -

मध्यप्रदेश में सिटी गैस वितरण नेटवर्क/अधोसंरचना निर्माण एवं विस्तार का कार्य 25 जिलों में चल रहा है। राज्य शासन द्वारा इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों एवं विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ आदि समय-सीमा में सुनिश्चित कराने के लिये जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक, वन मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महाप्रबंधक/प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण/जल-संसाधन, आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप संचालक नगर निवेश, जिला परिवहन अधिकारी और प्राधिकृत सीजीडी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

सिंघम - 7/12/21

कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित

रतलाम ●मध्यप्रदेश में सिटी गैस वितरण नेटवर्क/अधोसंरचना निर्माण एवं विस्तार का कार्य 25 जिलों में चल रहा है। राज्य शासन द्वारा इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों एवं विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ आदि समय-सीमा में सुनिश्चित कराने के लिये जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक, वन मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महाप्रबंधक/प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण/जल-संसाधन, आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप संचालक नगर निवेश, जिला परिवहन अधिकारी और प्राधिकृत सीजीडी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। स्वदेश

स्वदेश 8/12/21

स्टेडियम मार्केट के पीछे वाली दुकानो वाले मामले में निगम के विरुद्ध न्यायालय का स्टे

56 दुकान की राह में किरायेदार दुकानदारों का रोड़ा

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

कलेक्टर व निगम प्रशासन की महती इंदौर से प्रेरित 56 दुकानों वाली योजना को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्टेडियम मार्किट के पीछे बनी निगम स्वामित्व की दुकानों को खाली करने के निगम के नोटिस के विरुद्ध न्यायालय पहुचे कई किरायेदार दुकानदारों मे से एक दुकानदार मोहम्मद फिरोज को न्यायालय से स्थगन प्राप्त हुआ है सफल दुकानदार की ओर से पैरवी एडवोकेट देवेंद्र सिराधना गुर्जर ने की। जबकि अन्य कई दुकानदारों का स्थगन आवेदन खारिज हुआ है, पर निगम की मंशा अनुरूप परिणाम नही आने के कारण निगम अन्य दुकानों को भी वर्तमान में खाली नही करा पायेगा। ऐसी स्थिति में निगम के किरायेदारों से दुकान खाली कराने में विफल रहने के कारण कलेक्टर की 56 दुकान योजना अभी कुछ समय के लिए तो खटाई में पड़ती जा रही है क्योंकि न्यायालय द्वारा निगम के किरायेदार दुकानदार के पक्ष में स्थगन प्रदान कर दिया गया है। जबकि स्टेडियम मार्किट के दुकानदार इसे अपनी रोज़ी रोटी बचाने की लड़ाई में एक अहम कदम मान रहे है और अपनी किराएदारी के अनुसार निगम द्वारा उनके साथ अन्याय व अत्यचार करने के विरुद्ध न्यायालय की शरण मे पहुचे है अब आगे देखना है कि निगम दुकानदारों से दुकाने खाली करा पाता है या नही बहरहाल वर्तमान में निगम और कलेक्टर द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में जहाँ आधुकांश में निगम का ही बोलबाला रहा है वही ये छोटा मामला निगम और कलेक्टर को भी अपने गिरेबान में झांकने का अवसर हो सकता है कि हो सकता है अधिकांश मामलों में वो सही हो जबकि कुछ मामलों में गलत भी हो सकते है जहाँ मामला लोगो की रोज़ी रोटी से सीधा जुड़ा हो। सिंघम-7

सिंघम - 7/12/21

कोर्ट से राहत

स्टेडियम मार्केट के पीछे दुकान खाली करने पर न्यायालय का स्टे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्टेडियम मार्केट के पीछे बनी निगम स्वामित्व की दुकानों को खाली करने के नगर निगम के नोटिस के विरुद्ध न्यायालय पहुंचे दुकानदारों में से एक दुकानदार मोहम्मद फिरोज को न्यायालय से स्टे मिल गया है। अन्य दुकानदारों की तरह इस दुकानदार को नगर निगम ने दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। एडवोकेट देवेंद्र सिराधना गुर्जर ने दुकानदार की तरफ से स्थगन के लिए कोर्ट में आवेदन दिया।

न्यायालय ने निगम के किरायेदार दुकानदार के पक्ष में स्थगन प्रदान दिया है। एडवोकेट गुर्जर ने बताया न्यायालय ने एक महीने या दावा दाखिल करने तक का समय दिया है। निगम किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हो सकेगी। उन्होंने बताया अन्य कई दुकानदारों का स्थगन आवेदन जहां खारिज हुआ है लेकिन निगम की मंशा अनुरूप परिणाम नही आने के कारण निगम अन्य दुकानों को खाली नही करा पाएगा। गौरतलब है कि स्टेडियम के पीछे नगर निगम की इंदौर की 56 दुकान की तर्ज पर मार्केट बनाने की योजना है। इस पर निगम ने 53 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए थे। इस मामले में न्यायालय ने दुकान नंबर 12 के दुकानदार को स्टे दिया है। भास्कर

दैनिक भास्कर 8/12/21

श्रीवास ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कोर्ट में लगाई याचिका

लगाई याचिका, 1 माह में सुधारें सड़कें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर की आनन्द कालोनी मेन रोड तथा कस्तूरबा नगर तथा शहर के अन्य कई जगहों की पर सड़क बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। रोड के खुदे पड़े होने के कारण वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। शहर के नागरिक समस्त प्रकार के कर देने के बाद भी नगर निगम की उदासीनता की वजह से उन्हें धूल मिट्टी और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन्ही बातों को लेकर अधिवक्ता राजेंद्र कुमार श्रीवास ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसमें कहा गया कि एक माह के अंदर इन्हें सुधारा जाए।

अधिवक्ता श्रीवास ने याचिका में कहा कि वाहनों की आवाजाही के कारण धूल उड़ने के कारण वहां पर निवास करने वाले व्यवसायियों आसपास निवास करने वाले निवासियों तथा राहगीरों के स्वास्थय पर भी विपरीत असर पड़ा रहा है। इससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बढ़ रहा है। वातावरण दूषित होकर स्वच्छता अभियान के युग में रतलाम शहर उक्त कारणों से गंदगी व धूल में तब्दील हो होता जा रहा है। इससे आम शहरी जनता को बचाने का दायित्व आयुक्त नगर पालिका निगम का है। गत लगभग 2-3 वर्षों से नगर निगम द्वारा कई प्रकार के विकास व रोड निर्माण कार्य जनता के हितार्थ किए जा रहे हैं, किन्तु उन निर्माण व विकास कार्य को ठेकेदारों द्वारा मनमाने रूप से कार्य को पूर्ण किए बिना आधे-अपूरे बीच में ही छोड़ देने के कारण तथा धूल मिटटी उड़ने के कारण व वायु प्रदूषण होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर दुकानदारों के सामान व स्वच्छता पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसा करके आम जनता के स्वास्थ्य व जीवन के साथ खिलवाड किया जा रहा है।

पत्रिका 8/12/21

मार्किंग लाइन के बाहर वाहन खड़ा किया तो ई चालान

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने नौ पार्किंग व मार्किंग लाइन के बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। नौ पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालान चस्पा कर जुर्माना जमा कराने के लिए तारीख दी जा रही है, वहीं सड़कों के किनारे मार्किंग लाइन के बाहर खड़े वाहनों की सिटी सर्विलांस सिस्टम (सीसीटीवी कैमरों) से नजर रखी जाकर संबंधित वाहन चालक के घर ई चालान भेजे जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सड़क सुरक्षा उप समिति की बैठक में यातायात सुधारने के संबंध में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर की सड़कों के किनारे लगने वाली सब्जी दुकानों को चयनित स्थलों पर लगवाने के लिए ट्रायल शुरू करने के साथ ही मार्किंग लाइन के बाहर खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन नगर निगम द्वारा दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी सब्जी दुकानों को चयनित स्थानों पर भेजने का ट्रायल शुरू नहीं किया गया है। उधर, पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम से बाजारों व प्रमुख मार्गों की यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। मार्किंग लाइन के बाहर खड़े वाहनों के बारे में यातायात पुलिस व संबंधित थानों को सूचना दी जाती है। इसके बाद उक्त वाहनों के नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाकर उन्हें चालन भेजा जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को वाहन सही स्थान पर खड़ा करने की समझाइश भी दी जा रही है। नई.

सुधार

- रतलाम शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हो रहे प्रयास
- सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है सड़क पर नजर

नईदुनिया 8/12/21

ई-श्रम कार्ड बनना आरम्भ

सिंघम रिपोर्टर ❒ रतलाम

मप्र शासन द्वारा शहर के वार्डों में ई-श्रम कार्ड बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया है। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार व्यक्ति देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस कार्ड का उद्देश्य फ्री दुर्घटना बीमा भी है।

नगर के लक्ष्मणपुरा वार्ड 2 में ई-श्रम कार्ड बनाने का कार्य भाजपा अम्बेडकर मण्डल अध्यक्ष करण धीर्य

बड़गोत्या तथा मंत्री श्रीमती किरण महावर की उपस्थिति में आयोजित किया गया। शिविर में करीब 120 कार्ड बनाए गए। श्रीमती किरण ने बताया कि जिस भी व्यक्ति द्वारा शिविर में पंजीयन करवाया गया है उसे तत्काल ही निःशुल्क ई-कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16 से 60 वर्षीय उम्र वाले व्यक्ति को ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता की नकल आवश्यक है। इस अवसर पर कोली समाज अध्यक्ष दौलतराम महावर, चुन्नीलाल खंडेलवाल, नवीन पाल, मीनाक्षी पांचाल, ज्योति खंडेलवाल, गीतांजलि महावर, हेमराज, कमल गुरनानी, पूजा शर्मा, लोकेश जायसवाल आदि का सराहनीय सहयोग रहा।

सिंघम-7

सिंघम - 7/12/21

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु प्रभारी व नोडल अधिकारी नियुक्त

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के कामकाज के संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रभारी एवं नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उनके सहयोग के लिए भी अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

जारी किए गए आदेश के अनुसार आदर्श आचरण संहिता एवं कानून व्यवस्था के लिए अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य नोडल अधिकारी रहेंगे। उनके सहयोगी अधिकारियों में जिले के सभी एसडीएम, निगमायुक्त, सभी तहसीलदार आदि सम्मिलित रहेंगे। मतदान, मतगणना एवं अन्य दलों को प्रशिक्षित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले प्रभारी अधिकारी नियुक्त की गई हैं। उनके सहयोग के लिए प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मण परवाल, रियाज अहमद मंसूरी, डॉ. अभय पाठक तथा श्री एल.एस. चोगड़ नियुक्त किए गए हैं।

मेन पावर मैनेजमेंट का दायित्व जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जमुना भिड़े को सौंपा गया है। उनके सहयोगियों में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान, ई गवर्नेंस मैनेजर नरेंद्र सोलंकी, एनआईसी के पुरुषोत्तम सोमानी आदि नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार निर्वाचन व्यय लेखा के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज के लेखा अधिकारी श्री तरुण त्रिपाठी, ईवीएम मैनेजमेंट के लिए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अनुरागसिंह, मतदान मतगणना जोनल आदि के मानदेय के लिए जिला पेंशन अधिकारी मोहनलाल लखनवी, बैलट पेपर, डमी बैलेट, स्ट्रांग रूम व्यवस्था के लिए जिला कोषालय अधिकारी रमेश मौर्य, शिक्षकों से संबंधित कार्य के लिए सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव, मैटेरियल मैनेजमेंट के लिए जिला परियोजना समन्वयक एम.एल. सासरी, कंप्यूटराइजेशन के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नरेंद्रसिंह चौहान, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, जिला परिवहन अधिकारी दीपक माझी, शिकायतों के निराकरण के लिए परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक, ईवीएम यूआरएल ईमेल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए ई गवर्नेंस मैनेजर नरेंद्रसिंह सोलंकी, कंट्रोल रूम के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रवीण साहू, सेल्स प्लान के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती विनीता लोढा, कम्युनिकेशन प्लान के लिए जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी बी.के. पाटीदार, रूट चार्ट तैयार करने के लिए अधीक्षक भू-अभिलेख रमेशचंद्र सिसोदिया, विद्युत व्यवस्था के लिए अधीक्षण यंत्री सुरेशचंद्र वर्मा, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट एवं टेबुलेशन कार्य के लिए जिला योजना अधिकारी बालकृष्ण पाटीदार एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नरेंद्रसिंह चौहान, पीओएल भोजन व्यवस्था के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी सामग्री वितरण, वापसी, मतगणना स्थल व्यवस्था के लिए डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले प्रवेश पत्र जारी करने के लि जिला पंजीयक डॉ. अमरे नायडू, प्रचार प्रसार हेतु, जुलू सभा, वाहन, माइक आदि अनुम के लिए सभी संबंधित रिटर्नि ऑफिसर, मतदाता सूची तैयार लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपा अधिकारी श्रीमती विनीता लो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्शन प्ल के लिए जिला शिक्षा अधिक के.सी. शर्मा, मतदान द सेक्टर मजिस्ट्रेट, से ऑफिसर को मेडिकल उपलब्ध कराने के लिए मु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि डॉक्टर प्रभाकर ननावरे • नोडल अधिकारी बनाया गय

अवन्तिका

अवन्तिका 8/12/21

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव | **कलेक्टर ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए**

चुनाव के लिए जिला स्टैंडिंग कमेटी गठित, कंट्रोल रूम स्थापित

रतलाम। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित की है। कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सदस्यों में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, जनपदों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित नोडल अधिकारी रहेंगे।

पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम एवं काल सेंटर स्थापित किया गया है। ई दक्ष केंद्र जनपद पंचायत परिसर रतलाम में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07412242400 तथा 89892 54487 है। कंट्रोल रूम पर कार्य संपादन के लिए अधिकारी, कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके तहत दल क्रमांक एक के प्रभारी जिला पंचायत वाटर शेड शाखा के महेंद्रसिंह, दल क्रमांक दो के प्रभारी तकनीकी विशेषज्ञ वाटर शेड जिला पंचायत भूपेंद्र पंड्या तथा दल क्रमांक तीन के प्रभारी जिला समन्वयक जिला पंचायत जोएल कटारा होंगे। कंट्रोल रूम सुबह सात से लेकर रात्रि 11 बजे तक कार्य करेगा।

मुद्रण एवं प्रकाशन की जानकारी देना अनिवार्य

जिले में स्थित समस्त मुद्रणालय एवं उनके स्वामियों तथा प्रकाशकों को आदेश प्रसारित किए हैं कि किसी भी पम्फलेट या पोस्टर मुद्रण, मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशकों के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। यह भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेंगे और न ही मुद्रित करवाएंगे जब तक की प्रकाशको की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनके द्वारा सत्यापित होना जरूरी है।

आहरण अधिकार पर रोक लगाई

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के प्रध के आहरण अधिकारों पर रोक ल दी गई है।

पंचायतों में प्रशासकीय समि गठितः जिला पंचायत की मु कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े बताया कि ग्राम पंचायतों की वि व्यवस्था संचालन हेतु प्रत्येक पंचायत में प्रशासकीय समिति गठित गई है। समिति में ग्राम पंचायत स के अलावा पंचायत समन्वय अधि या सहायक विकास विस्तार अधि शामिल है। इनके संयुक्त हस्ताक्षर से राशि आहरित की जाएगी।

नई

नईदुनिया 8/12/21

उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन आज व कल

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रतिमाह शासकीय उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों में से 468 उचित मूल्य दुकानों पर 7 व 8 दिसम्बर को प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन ग्रामों में उचित मूल्य दुकानें स्थित हैं उन दुकानों पर अन्न उत्सव दिवस पर कोविड टीकाकरण केन्द्र भी स्थापित किया जाए जिससे छुटे हुए हितग्राही को सुगमता से टीकाकरण किया जा सके। उचित मूल्य दुकान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी आदि की आवश्यकता पडने पर क्षेत्र के संबंधित सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। सिंघम- 7

सिंघम - 7/12/21

लोक अदालत में मिलेगी छूट

रतलाम. आगामी 11 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में नगर निगम भी बकायादार को कई तरह की छूट देगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया बकाया राशि जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय में दमकल कार्यालय भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर व जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन होगा। आयोजन में पेयजल व संपत्ति कर के बकायादार को छूट दी जाएगी। पत्रिका/

पत्रिका 8/12/21

इंदौरी कंपनी के 56 कर्मियों के जिम्मे शहर को सफाई में अच्छे नंबर दिलाने का जिम्मा, फीस एक करोड़ रुपए

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम के बाद सामने आई कमियों से सबक लेकर निगम ने की तैयारी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

2022 में होने वाली सफाई की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने नगर निगम ने जुगत लगाना शुरू कर दी है। सबसे बड़ा दाव इंदौरी कंपनी पर लगाया है।

यह कंपनी सालभर कचरा कलेक्शन, सेग्रिगेशन, आईईएस एक्टिविटी तो करेगी ही सर्वे में लगने वाले दस्तावेज तैयार करवाने में अफसरों की मदद करेगी। कंपनी 56 मैन पॉवर लगाएगी। कंपनी निगम ने एक करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेगी। टेंडर और करार होने के बाद कंपनी के 30 से ज्यादा ने कर्मचारियों ने काम संभाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग का 1150 कर्मचारियों का अमला निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सफाई करेगा, वो अलग। 20 नवंबर को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में सामने आई कमियों से सबक लेकर निगम ने यह कवायद शुरू की है। 1 से 10 लाख. तक की आबादी वाले 372 शहरों में नगर निगम की 42वीं रैंक बनी थी।

गीला और सूखा कचरा अलग करने की जानकारी देते कंपनी के कर्मचारी।

7500 अंक की होगी सफाई की परीक्षा - नई गाइड लाइन के अनुसार 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण 7500 अंक का होगा, जबकि दो साल से 6000 अंक का हो रहा था। 1500 अंक बढ़ाने के साथ नए मापदंड जोड़ दिए हैं। इनमें आपदा प्रबंधन की तैयारी और कचरा प्रबंधन की डिजीटल ट्रैकिंग, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और सेग्रिगेशन की डिजिटल ट्रैकिंग समेत कुछ अन्य पाइंट शामिल हैं। टाइम लाइन के अनुसार मुख्य सर्वेक्षण जनवरी में है। दिसंबर तक सर्विस लेवल प्रोग्रेस 3 चरण निपट जाएंगे।

2022 के सर्वेक्षण में किसके-कितने अंक

सर्विस लेवल प्रोग्रेस (3000 अंक) - सेग्रिगेशन कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोसल, सफाई मित्र सुरक्षा, डिजिटल ट्रैकिंग

सिटीजन वाइस (2250 अंक) - फीडबैक, एंगेजमेंट, एक्सपीरिएंस, स्वच्छता एप, डिस्साटर, एपीडेमिक रिस्पांस, वाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनोवेशन

सर्टिफिकेशन (2250 अंक) - जीएफसी स्टार रेटिंग (1250 अंक), ओडीएफ प्लस/डबल प्लस/वाटर प्लस (1000)

5 सालों में शहर की रैंकिंग

साल	रैंक/शहर
2016	79/-
2017	48/500
2018	72/4203
2019	62/6000
2020	49/4242
2021	42/372

भास्कर

दै. भास्कर 8/12/21

अब सरकारी और धर्मस्थलों की जमीन दबाने वाले दबंगों की बारी, प्रशासनिक सख्ती से है अवैध कब्जेधारियों में हड़कंप

रतलाम | अवैध कॉलोनी के बाद अब सरकारी और धार्मिक स्थलों की जमीन दबाकर बैठे भूमाफिया पर प्रशासनिक डंडा चलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है, अब तक हुई पड़ताल के बाद आठ कब्जेधारियों की सूची बन गई है। इनमें से कुछ ने कॉलोनी विकसित करना शुरू कर दिया है, तो कुछ कमर्शियल उपयोग के लिए बड़ा निर्माण कर लिया है। शुरुआती कार्रवाई करते हुए जवाब तलब के लिए नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं। अगले सप्ताह जमीन दबाने के लिए किए गए कच्चे-पक्के निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। इतना ही नहीं अवैधानिक रूप से जमीन दबाकर बैठने वालों पर पुलिस प्रकरण भी दर्ज कराया जाएगा।

प्रशासन के इस एक्शन से कब्जेधारी भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। अभी हल्का वार अतिक्रमण और कब्जेधारियों की जांच चल रही है। इसके पूरी होने के बाद कब्जेधारियों भूमाफियाओं की लिस्ट लंबी हो सकती है।

बता दें कि अक्टूबर, नवंबर में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 9 अवैध कॉलोनियों के निर्माण को तोड़ा था। ये कॉलोनियों काटने वाले 15 कॉलोनाइजरों पर पुलिस प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया अवैध कॉलोनियां बनाने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की जांच चल रही है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रतापनगर और होमगार्ड रोड पर भी तीन अवैध कॉलोनियां दो माह से लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के बावजूद कुछ पर अब तक सरकारी अमले की नजर नहीं पड़ी है। ऐसी ही तीन कॉलोनियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंची है। इनमें से एक प्रतापनगर खाचरौद तिराहे पर माहेश्वरी प्रोटीन्स फेक्टरी की जमीन पर बन रही कॉलोनी है।

फिलहाल इसका काम कुछ समय से बंद है, लेकिन कॉलोनाइजर ने कनेरी और धोलावड़ रोड की अवैध कॉलोनियों की तरह ही सीमेंट कांक्रीट की रोड बनाकर पोल गाड़कर प्लॉट काटे गए हैं। इसके अलावा दो अवैध कॉलोनियों होमगार्ड रोड की है। जानकारी मिलने के बाद जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू कर दी गई है। गड़बड़ी मिलने पर इन कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर नोटिस जारी- छत्रीपुल नाले के पास वाली जमीन को लेकर प्रशासन कब्जेधारी को नोटिस जारी कर दिया है। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। 2005 में हुए आदेश का हवाला देकर जमीन सुपुर्द करने के लिए वक्फ बोर्ड ने प्रशासन को आवेदन दिया था। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कब्जेधारी अजीत नामक व्यक्ति को नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि कब्जेधारी ने जवाब के साथ दस्तावेज भी दे दिए हैं। अब उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

कार्रवाई रुकवाने के लिए सांसद की शरण में पहुंचे भूमाफिया के नुमाइंदे- अवैध कॉलोनियों को लेकर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई से घबराए भूमाफियाओं ने बचने के लिए नुमाइंदों को आगे कर दिया है। शुक्रवार को ऐसे ही प्रॉपर्टी व्यवसायी और नागरिकों कार्रवाई को रुकवाने के लिए सांसद जीएस डामोर की शरण में पहुंचे। उन्होंने बिरियाखेड़ी में सांसद को ज्ञापन देकर बताया कि कुछ दिनों से प्रशासन और नगर निगम कृषि भूमि पर एक बिस्वा से ज्यादा के भूखंडों पर कार्रवाई कर रहा है। इससे प्रॉपर्टी बाजार को क्षति हुई है।

शाकम्भरी

शाकम्भरी दर्पण 8/12/21

जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

नगरीय सीमा में विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंध

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत रतलाम प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम के संयुक्त पत्र तथा निगमायुक्त के द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

उक्त आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से संचालित कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालकों, भंडारणकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अपनी दुकान, गोडाउन भंडारगृह इत्यादि को तत्काल प्रभाव से रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित करें।

20 दिसंबर की डेडलाइन

प्रशासन ने इसके लिए समय अवधि आगामी 20 दिसंबर नियत की है। उक्त आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र की परिधि में कोई भी व्यक्ति, संचालक, भंडारणकर्ता द्वारा कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

जारी किए आदेश

रतलाम शहर के मोहन नगर में संचालित एग्रीकल्चर पाइप्स के अवैध गोडाउन में घटित आगजनी की घटना के बाद आग पर काबू पाने में काफी समय लगा था। ऐसी घटना से मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरे के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। भविष्य में इस प्रकार का हादसा न हो उसे दृष्टिगत उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।

पत्रिका 8/12/21

विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण प्रतिबंधित

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण आदि किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश एसडीएम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम के संयुक्त पत्र तथा निगमायुक्त के द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

रहवासी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से संचालित कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालकों, भंडारणकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अपनी दुकान, गोडाउन भंडारगृह इत्यादि को तत्काल प्रभाव से रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर समुचित स्थान पर स्थानांतरित करें। इसके लिए समय अवधि 20 दिसंबर नियत की गई है। आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र की परिधि में कोई भी व्यक्ति, संचालक, भंडारणकर्ता द्वारा कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

स्वदेश 8/12/21

शासन आया वसूली मोड में...

सृजन कॉलेज की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी, रेलवे को आवंटित भूमि के वापसी का प्रस्ताव...

नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी

रतलाम | विगत दिनों वसूली को लेकर प्रशासन के रवैये में बदलाव आया है। प्रशासन वसूली मोड में आ चुका है। इसकी बानगी दो आदेशों से लगाई जा सकती है। पहला आदेश तो शहर के डोसीगांव क्षेत्र स्थित सृजन कॉलेज को लेकर जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर तहसीलदार गोपाल सोनी द्वारा जारी पत्र के अनुसार उत्तम सृजन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा अनिल कुमार झालानी, 63 स्टेडियम मार्केट रतलाम की डोसीगांव स्थित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 181/3/1/1 होकर रकबा 1.290 हेक्टेयर है, को कुर्क करने के आदेश दिए गए है। इस वर्णित भूमि के डायवर्सन के 19,04,770/- रुपये बकाया है। और इसे कुर्क कर रिपोर्ट मंगवाई है ताकि नीलामी की प्रक्रिया की जा सकें। रेलवे को दी गई भूमि के

आवंटन निरस्ती का प्रस्ताव - सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा वसूली अभियान में रेलवे को भी नहीं बख्शा गया है। शासन द्वारा रेलवे को डोसीगांव क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 69/1 के अंतर्गत लगभग 82 हजार वर्गफीट से अधिक रकबे वाली भूमि मालगोदाम हेतु लगभग 30 वर्षों के लिए आवंटित की गई थी। जिसपर विगत 2 वर्षों से लीज रेंट नहीं भरा गया है तथा 73,25,598/- रुपये बकाया बताए जा रहे है। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 2 साल से लीज रेंट नहीं भर जाने पर शासन ने आवंटन आदेश निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है।

शाकम्भरी

शाकम्भरी दर्पण 8/12/21

समाज सेविका चाहर ने भेंट किए स्वच्छता के औजार व झाड़ू

रतलाम ● स्वच्छता मानव जीवन के लिए जरूरी है बिना स्वच्छता के मनुष्य का जीवन पशु जैसा हाता है । जिसमें कई तरह की बीमारियां विकसित होती है। यह बात समाज सेविका कुसुम चाहर ने हनुमान ताल स्थित बगीचे में की। सोशल लीडर फाउंडेशन संस्था के सभी टीम सदस्यों एवं आम नागरिकों की मदद से गार्डन में सभी संस्था के सदस्यों ने अपने रतलाम को स्वच्छ रखने में सहयोग के लिए शपथ ली की रतलाम शहर को सुंदर व स्वस्थ बनाएंगे और भारत ही नहीं अपितु विश्व में नंबर वन लेकर आएंगे । इस अवसर पर श्रीमती चाहर द्वारा संस्था को औजार व झाड़ू डोनेट की गई। आम नागरिकों से भी निवेदन किया कि शहर को सुंदर व स्वस्थ रखने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।

समाज सेविका कुसुम चाहर ने भेंट किए स्वच्छता के औजार

रतलाम। स्वच्छता मानव जीवन के लिए जरूरी है बिना स्वच्छता के मनुष्य का जीवन पशु जैसा होता है। जिसमें कई तरह की बीमारियां विकसित होती है।यह बात समाज सेविका कुसुम चाहर ने हनुमान ताल स्थित बगीचे में की।सोशल लीडर फाउंडेशन संस्था के सभी टीम सदस्यों एवं आम नागरिकों की मदद से गार्डन में सभी संस्था के सदस्यों ने अपने रतलाम को स्वच्छ रखने में सहयोग के लिए शपथ ली की रतलाम शहर को सुंदर व स्वस्थ बनाएंगे और भारत ही नहीं अपितु विश्व में नंबर वन लेकर आएंगे। संस्था सदस्य व समाज सेविका कुसुम चाहर द्वारा इस अवसर पर स्वच्छता के लिए संस्था को औजार व झाड़ू डोनेट की गई। आम नागरिकों से भी निवेदन किया कि शहर को सुंदर व स्वस्थ रखने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।

हनुमान ताल पर दी सफाई की सामग्री

स्वच्छता के लिए आगे आए समाजसेवी

पत्रिका सोशल प्राइड

खुद भी शामिल हुए स्वच्छता अभियान में

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में घांसँ बाजार से लेकर चौमुखीपुल क्षेत्र के युवाओं द्वारा स्वयं के व्यय से स्वच्छता का अभियान चलाने व पत्रिका द्वारा इसको प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद अब शहर के अन्य क्षेत्र में भी समाजसेवी स्वच्छता की अलख को जगाने आगे आए है। समाजसेवी कुसुम चाहर ने हनुमान ताल क्षेत्र में मंगलवार को स्वच्छता के लिए जरूरी संसाधन युवाओं के संगठन के दिए है। इसके अलावा इस क्षेत्र के बगीचे में सफाई भी करवाई है।

स्वच्छता मानव जीवन के लिए जरूरी है बिना स्वच्छता के मनुष्य का जीवन पशु जैसा होता है। जिसमें कई तरह की बीमारियां विकसित होती हैं। यह बात समाज सेविका कुसुम चाहर ने हनुमान ताल स्थित बगीचे में कही। सोशल लीडर फाउंडेशन संस्था के टीम सदस्यों एवं आम नागरिकों की मदद से गार्डन में सभी संस्था के सदस्यों ने अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग के लिए शपथ ली की शहर को सुंदर व स्वस्थ बनाएंगे और भारत ही नहीं अपितु विश्व में नंबर वन लेकर आएंगे। सदस्य व समाज सेविका चाहर द्वारा स्वच्छता के लिए संस्था को औजार व झाडू दान की गई।

निरंतर चलाएंगे अभियान

इस दौरान बताया गया कि शुरुआत हनुमान ताल के बगीचे से की गई है, लेकिन इस अभियान को निरंतर चलाया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में शहर के सभी प्रमुख बगीचों में स्वच्छता की जाएगी। क्योंकि बगीचों में बच्चों से लेकर वृद्ध तक प्रतिदिन आते हैं। क्षेत्रीय रहवासियों को जोड़कर स्वच्छता के लिए जागृत करेगा।

नगर निगम की तो अपील है कि हर वार्ड के युवा-युवतियां स्वच्छता के लिए आगे आए व जागृति का अभियान चलाए। इसके साथ - साथ सप्ताह में एक दिन तय करें की उस दिन पूरे मोहल्ले को निगम कर्मचारियों के साथ स्वच्छ करेंगे। यह हो गया तो शहर को स्वच्छता अभियान 2022 में नंबर एक आने पर कोई नहीं रोक सकता है। - **सोमनाथ झारिया**, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 8/12/21

गंदगी से फैलती हैं बीमारियां

हनुमान ताल के बगीचे मे सफाई करते हुए सोशल लीडर फाउंडेशन संस्था के सदस्य। ●नईदुनिया

रतलाम। स्वच्छता मानव जीवन के लिए जरूरी है। बिना स्वच्छता के मनुष्य का जीवन पशु जैसा होता है। इसमें कई तरह की बीमारियां विकसित होती है। यह बात समाजसेविका कुसुम चाहर ने हनुमान ताल स्थित बगीचे में कही। सोशल लीडर फाउंडेशन संस्था के सभी टीम सदस्यों व आम नागरिकों की मदद से गार्डन में विशेष साफ-सफाई की गई। शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की शपथ भी ली गई। शहर को सुंदर व स्वस्थ बनाएंगे और भारत ही नहीं अपितु विश्व में नंबर वन लेकर आएंगे। संस्था सदस्य व कुसुम चाहर द्वारा स्वच्छता के लिए संस्था को औजार व झाडू भेंट की गई।

नईदुनिया 8/12/21

अभियान में नागरिकों के साथ सफाई मित्र और कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दे बोले... धन्यवाद

भास्कर संवाददाता। रतलाम

देश के एक से दस लाख तक की आबादी वाले 372 शहरों में 42वीं रैंक आने के बाद नगर निगम द्वारा धन्यवाद मप्र अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम उपायुक्त विकास सोलंकी की उपस्थिति में सफाई के जोन कार्यालयों पर सार्वजनिक शौचालय के संचालकों का सम्मान किया गया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त सोलंकी ने कहा स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की जननी है। लोग अपना परिसर व आसपास साफ सफाई रखते हुए दूसरो को भी जागरूक करे। सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होंगे तभी रतलाम सफाई में एक नंबर पर आ पाएगा। इसके अलावा सफाई सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान आदि उपस्थित रहे।

64 टन से अधिक कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचा - मंगलवार को शहर से 64 टन कचरा निकला। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ियों में गीले-सूखे कचरे के अलावा सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाला कचरा भी उठाकर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया। इसमें डंपर से 19310 किलो, ट्रैक्टर से 8235 किलो, कॉम्पेक्टर से सूखा कचरा 18205 किलो और गीला 19050 किलो कचरा पहुंचा। इस तरह कुल 64800 किलो कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड में खाली किया गया। भास्कर

कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित करते जोन प्रभारी पर्वत हाड़े।

खुले में गंदगी करने वाले 12 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया

स्वच्छता अभियान के तहत निगम का स्वास्थ्य अमला लगातार खुले में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगा रहा है। मंगलवार को 12 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन किया गया। कार्रवाई गौशाला रोड, बाजना बस स्टैंड, महू रोड बस स्टैंड और सागोद रोड क्षेत्र में हुई। इसमें अश्विन बाजना बस स्टैंड से 200 रुपए, अमित गोशाला रोड, बबलू, अजय लक्कड़पीठा रोड, रिंकू जैन, संग्राम सिंह सागोद रोड से 100 रुपए, दीपक, राहूल, अशोक, कालूराम गौशाला रोड, लखन बाजना बस स्टैंड, अमित सागोद रोड से 50 रुपए का स्पॉट फाइन लिया गया।

दै. भास्कर 8/12/21

विदेश से आने वाले 47 लोग होम क्वारंटाइन

पाजिटिव रिपोर्ट मिली तो मेडिकल कालेज में किया जाएगा भर्ती

रतलाम में महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में मास्क वितरित करते हुए मुरलीवाला फाउंडेशन के पदाधिकारी। • नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर जिले में अलर्ट जारी होने के बाद विदेशों से आने वाले की कड़ी निगरानी हो रही है। एक दिसंबर से सात दिसंबर तक विदेश यात्रा कर जिले में आने वाले 47 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। सभी के आरटीपीसीआर सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, सभी निगेटिव हैं। यदि किसी की रिपोर्ट पाजिटिव आई तो, उसे मेडिकल कालेज के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा और जीनोमसिक्वेंसिंग जांच के लिए सैंपल पूना लैब में भेजा जाएगा।

जिले से पहले भी मेडिकल कालेज से हर महीने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जीनोमसिक्वेंसिंग जांच की सुविधा अभी पूना में ही है। कोरोना जिला नोडल अधिकारी डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि हाई रिस्क देशों से जिले में अब तक 47 लोगों की पहचान की जा चुकी है। सभी को होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला 14 दिन तक इनकी नियमित निगरानी रखेगा।

कृषि उपज मंडी में मास्क वितरित

कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रोम के खतरे को देखते हुए मुरलीवाला फाउंडेशन द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि उपज मंडी महू रोड पर नीलामी के दौरान किसानों, मजदूरों व व्यापारियों को मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुरलीवाला फाउंडेशन के संस्थापक व मानव सेवा समिति अध्यक्ष मोहनलाल मुरलीवाला, व्यापारी पंकज बाफना, प्रकाश जादव, दिनेश जादव, आनंद पाटीदार, विकास पाटीदार, विजय पाटीदार, राधेश्याम धाकड़ आदि उपस्थित थे। जानकारी मुरलीवाला फाउंडेशन के अध्यक्ष रवींद्र पाटीदार ने दी।

आज वैक्सीनेशन महाअभियान, 45000 टीके लगाए जाएंगे

रतलाम। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में आठ दिसंबर को जिले में 45000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। मंगलवार शाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अभियान को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने खासतौर पर पिछले महाअभियान में कमजोर परफार्मेंस वाले नोडल अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा कर माइक्रो प्लान के साथ नियोजित ढंग से कार्य करने के लिए कहा। कलेक्टर ने रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात करने व वैक्सीनेशन की पोर्टल पर एंट्री समय सीमा में करने के लिए निर्देशित किया। पिछले महा अभियान में ठीक से कार्य नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों से अपेक्षित कार्य नहीं करने पर जवाब मांगा गया। खंड स्रोत समन्वयक

प्रदीप बैस आलोट की जन शिक्षक संगीता जैन, शांता पोरवाल, सुपरवाइजर धापू मालवीय, सीडीपीओ विवेक पाटीदार, ताल सीएमओ कन्हैयालाल सूर्यवंशी, जावरा नायब तहसीलदार श्रीमाल, सहायक विकास विस्तार अधिकारी इंदर सिंह मंडलोई, सैलाना जनपद सीईओ से चर्चा करते हुए आठ दिसंबर के महाअभियान में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिए गए।

नईदुनिया 8/12/21

कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी: मुख्यमंत्री

हमारा प्रयास यह हो कि मध्यप्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित न हो

भोपाल, (राप्र डेस्क)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है। इससे बचाव के लिए संपूर्ण प्रदेश में सजगता और सतर्कता आवश्यक है। हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कर कोरोना वायरस का सामना करना है। हमारा प्रयास यह हो कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित न हो और अर्थ-व्यवस्था सामान्य रूप से चलती रहे। कोरोना का सामना करने के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं, यह सुनिश्चित करने लिए सभी प्रभारी मंत्री इस हफ्ते में अपने प्रभार के जिलों और अपने क्षेत्र के चिकित्सालयों का भ्रमण सुनिश्चित करें तथा ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन पाइप लाइन आदि की व्यवस्था का आवश्यक रूप से परीक्षण कर लें। मुख्यमंत्री मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के दोनों डोज लगने से संक्रमण की गंभीरता कम होती है। अतः दिसंबर अंत तक प्रदेश में सभी पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों तथा अपने क्षेत्र की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ टीम भावना से कार्य करते हुए विशेष टीकाकरण के लिए वातावरण निर्मित करना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य गतिविधियों की होगी विस्तार से समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद अस्पतालों की स्थिति तथा टीकाकरण के लिए वातावरण निर्माण के उद्देश्य से संचालित की गई गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। अस्पतालों की स्थिति के संबंध में यदि कुछ सुधारात्मक उपाय करने हैं, तो उस संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर जनवरी में आने की संभावना है। अतः जहां पूर्व से कोविड केयर सेंटर बने हैं, उन्हें बने रहने दिया जाकर उनकी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जाए।

२१७

राजएक्सप्रेस 8/12/21

खराब सड़कों को लेकर स्थायी लोक अदालत में याचिका

न्यायालय से आस ● आवागमन में परेशानी पर अभिभाषक ने एक माह में मरम्मत की मांग की

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। बारिश, सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन डालने में खराब हुई शहर की सड़कों की मरम्मत नहीं होने से शहरवासी परेशान हैं। निगम ने पेचवर्क के टेंडर जारी किए, लेकिन कई आंतरिक मार्गों को इसमें नहीं लिया गया। हालात यह है कि कालोनियों, मोहल्लों में जाने वाले मार्ग पर वाहनों के फिसलने से लोग घायल हो रहे हैं। इन परेशानियों को लेकर अभिभाषक आरके श्रीवास ने कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका प्रस्तुत की है।

लोक अदालय में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि खराब सड़कों व गड्ढों के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों पर धूल उड़ने से उनके आसपास रहने वाले लोगों व राहगीरों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पर रहा है। एक माह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर सड़क को दुरस्त कराया जाए। अभिभाषक श्रीवास ने बताया कि उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) व लोक उपयोगी सेवा स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव के समक्ष उक्त याचिका प्रस्तुत की है। याचिका पर अभी नोटिस जारी नहीं हुए है। निगम की जिम्मेदारी है कि शहर में स्थित सड़कों का उचित रूप से रख-रखाव व स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाए।

कस्तूरबा नगर से अस्सी फीड रोड जाने वाले मार्ग पर मिट्टी फैली हुई है। ● नईदुनिया

आनंद कालोनी मैन रोड हो गया है जर्जर। ● नईदुनिया

सड़कों की मरम्मत भी अधूरी

शहर की अनेक सड़कों की मरम्मत कराने के लिए पिछले दिनों प्रशासन ने बैठक में निर्णय लिए थे, लेकिन कई सड़कों पर अधूरी ही मरम्मत की गई है। आबकारी रोड पर भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा मरम्मत करने से छोड़ दिया गया है। गड्ढों के कारण आवागमन में असुविधा होने के साथ दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ रही है। नागरिक प्रत्येक प्रकार के टैक्स के रूप में संपूर्ण राशि भी अदा कर रहे है। प्रशासनिक अधिकारी भी खराब सड़क से गुजरते है, लेकिन सड़कों के सुधार प ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में भी सड़क को दुरस्त कराने के लिए याचिका पेश की गई थी, तब दो बती चौराहे तथा डीआरए कार्यालय स्थित सड़को के निर्माण को ती माह में पूरा कराने के लिए लोक निर्मा विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुराग सि तथा नगर निगम उपयंत्री विकास सि मरकाम को निर्देश दिए गए थे।

ठेकेदारों की मनमानी से बढ़ी परेशानी

कलेक्टर पर समस्त प्रशासनिक कर्तव्यों के निष्पादन व देखरेख की जिम्मेदारी है। पिछले दो-तीन वर्षों में नगर निगम द्वारा कई प्रकार के विकास व रोड निर्माण किए जा रहे है, लेकिन निर्माण व विकास कार्य में ठेकेदारों की मनमानी व काम अधूरा छोड़ देने से सुविधा की बजाए लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

नईदुनिया 4/12/21

रतलाम में 7 दिन में 48 लोग विदेश से आए, 40 होम क्वॉरंटीन

पत्रिका करंट इश्यू

8 लोग रतलाम नहीं पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग ने किया संपर्क, रिपोर्ट आई नेगेटिव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. विदेश यात्रा कर रतलाम आने वालों पर इन दिनों प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग नजरें गढ़ाए बैठा है। यही कारण है कि बीते सात दिनों में विदेश से रतलाम आए 48 लोगों में से 40 लोगों के घर पहुंचकर उन्हे होम क्वारंटाइन कर दिया है। इतना ही नहीं आठ लोग ऐसे भी है जो कि रतलाम के हैं लेकिन वह अब तक रतलाम नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में उनसे संपर्क किया तो वह अन्य जिलों में हैं, जहां उनके कोरोना टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है।

प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का सीधा संपर्क रतलाम से है। महाराष्ट्र से लोग ट्रेन और सड़क मार्ग से रतलाम पहुंचते है जबकि गुजरात और राजस्थान की सीमा बिलकुल रतलाम से सटी हुई है। ऐसे में यहां के लोगों की आवाजाही रतलाम में अधिक है, जिसके चलते कोरोना के नए वैरिएंट का खतरा भी रतलाम पर ज्यादा मंडरा रहा है। जिसके चलते यहां पर स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।

सभी के लिए सैंपल

रतलाम के लिए राहत की बात यह है कि विदेश से यहां पहुंचे 40 लोगों के घर तक स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच गया और उन सभी की कोरोना जांच के लिए सैंपल एकत्र कर लिए गए है। इनमें करीब 8 लोगों की रिपोर्ट नेगे[illegible] आना बताई जा रही है जबकि [illegible] लोगों की जांच रिपोर्ट का [illegible] इंतजार है। वहीं 40 के अतिरिक्त अन्य 8 लोग है उनसे संपर्क [illegible] पर पता चला कि उनके पास रतलाम के हैं लेकिन वे यहां न [illegible] हुए अन्य जिलों में काम से पहुंचे

सभी पर है नजर

बीते 7 दिनों के दौरान विदेश यात्रा से आए 48 लोगों की सूची हमारे पास आई है, सभी से संपर्ककर लिया गया है। सभी की एयरपोर्ट हुई जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रतलाम में आने पर भी उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे है। फिलहाल सभी को होम क्वारंटीन किया गया है।

-गौरव बोरीवाल, जिला महामारी नियंत्रक, रतलाम

पत्रिका 8/12/21

ओमिक्रॉन : यूएई, कनाडा व वियतनाम से 5 लोग आए

विदेश से आने वालों में दो हाईरिस्क कंट्री वाले

विदेश से आने पर 7 दिन होम आइसोलेट कर रहे हैं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

ओमिक्रॉन को लेकर जिले में अलर्ट है। मंगलवार को शहर के यूएई, कैनेडा और वियतनाम से 5 लोग भारत आए हैं। इनमें से दो देश हाई रिस्क कंट्री है। विदेश से लौटने वालों को 7 दिन के लिए आइसोलेट किया जा रहा है।

जिले में 47 लोग विदेश से लौट कर आए हैं। राहत की बात ये है कि किसी की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव नहीं मिली है। एपेडेमियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव बोरिवाल ने बताया 18 देशों को हाई रिस्क की कैटेगरी में लिया है। मंगलवार को सभी से चर्चा हो गई है। कनाड़ा से लौटा युवक रतलाम नहीं पहुंचा है। वह पुणे में है, वहीं से लौट जाएगा। रतलाम में आने वाले लोगों को 7 दिन आइसोलेट रहने के बाद दोबारा आरटीपीसीआर की जाएगी।

इन देशों से आने वालों पर विशेष नजर

साउथ अफ्रीका, कोरिया बोत्सवाना, नीदरलैंड, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रीया, कैनेडा, स्वीडन, स्वीजरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, फ्रांस, घाना, , नाइजीरिया, ब्राजिल, नॉर्वे, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, आयरलैंड, यूएई, लक्समबर्ग, मलेशिया, सिंगापुर, जिम्बॉम्बे, मेक्सिको, स्कॉटलैंड, श्रीलंका।

7 दिन में 5,441 लोगों के लिए सैंपल - इधर, जिले में रेपिड रिस्पांस टीम भी तैयार हो चुकी है। 7 दिनों में 5,441 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, राहत की बात तो ये है कि अब तक एक भी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। अब तक जिले में 17507 पॉजिटिव आए हैं, आखिरी पॉजिटिव 20 अक्टूबर को सामने आया था। वहीं, कोरोना के कारण 311 लोगों की मौत हो चुकी हैं।

दै. भास्कर 8/12/21

स्टेशन रोड व आसपास कॉलोनियों में नलों से आ रहा है गंदा पानी

रहवासियों ने कलेक्टोरेट में एसडीएम को बताई समस्या

गंदे पानी की एसडीएम को शिकायत करते क्षेत्र के लोग।

भास्कर संवाददाता | रतलाम

स्टेशन रोड एवं आसपास की कॉलोनियों में नलों में गंदा पानी आ रहा है। नतीजतन आसपास की कॉलोनियों के रहवासी परेशान हैं। रहवासी अपनी शिकायत लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे और एसडीएम को परेशानी बताई। राधावल्लभ खंडेलवाल, समाजसेवी अनोखीलाल कटारिया और समाजसेवी मांगीलाल जैन ने बताया निगम द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन सुबह पानी की सप्लाई की जाती है।

स्टेशन रोड, टीआईटी रोड, फ्रीगंज ,मित्र निवास रोड एवं आसपास के क्षेत्रों में नलों में गंदा पानी आ रहा है। नलों में पानी इतना कम आ रहा है कि घर का पानी भी नहीं भर पा रहा। पानी की सप्लाई लेट होती है अनाउंसमेंट भी नहीं किया जाता है। वहीं यदि किया भी जाता है तो स्पष्ट आवाज भी नहीं आती है। जिन इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की जाती है। सत्री छिपानी, किरण कापड़िया, अशोक जैन, अशोक शर्मा, कौशिक अग्रवाल, अमन जैन, गौरव सराफ ,रवि अग्रवाल सहित अन्य मौजूद थे।

भास्कर

दे. भास्कर 8/12/21

नल में आ रहा गंदा पानी

जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण के निर्देश

कलेक्टोरेट में एसडीएम अभिषेक गेहलोत को आवेदन देकर चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल। • नईदुनिया

रतलाम। शहर के कई इलाकों में नलों से गंदा पानी आ रहा है। जलप्रदाय भी नियत समय पर नहीं किया जा रहा है। इससे सर्दी के मौसम में लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में एसडीएम अभिषेक गेहलोत को आवेदन सौंपा। जनशक्ति संयोजक राधावल्लभ खंडेलवाल ने बताया कि जलप्रदाय के दौरान अक्सर गंदा पानी आता है। दो दिसंबर को स्टेशन रोड, टीआइटी रोड, फ्रीगंज, मित्र निवास रोड आदि अनेक क्षेत्रों में कीचड़ की तरह गंदा पानी आया।

रतलाम स्वच्छता अभियान समिति के अध्यक्ष अनोखीलाल कटारिया, समाजसेवी मांगीलाल जैन ने बताया कि पूर्व में भी इस संदर्भ में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने नियत समय पर स्वच्छ जलप्रदाय की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में सत्री छिपानी, किरण कापड़िया, अशोक जैन, अशोक शर्मा, कौशिक अग्रवाल, अमन जैन, गौरव सराफ, रवि अग्रवाल आदि उपस्थित थे। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े तथा एसडीएम अभिषेक गेहलोत द्वारा 54 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ताल निवासी हेमंत पुत्र प्यारेलाल सूर्यवंशी ने बताया कि प्रार्थी की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। नगर पंचायत ताल का कहना है कि उक्त जमीन पंचायत में दर्ज नहीं है जबकि जमीन पंजीयन का प्रमाण पत्र नगर पंचायत द्वारा प्रार्थी को जारी किया गया है। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ताल को भेजा गया।

नई

नईदुनिया 8/12/21

सीएम ने जताई तीसरी लहर आने की आशंका

शिवराज बोले- फील्ड में उतरें मंत्री, अपनी आंखों से देखें व्यवस्था

निपटने की तैयारी पर दी गाइडलाइन

कलेक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वैरिएंट के कारण तीसरी लहर से निपटने के लिए मंत्रियों को भी फील्ड में उतरने कहा है। उन्होंने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने जिले और प्रभार वाले जिलों में व्यवस्थाओं का एक हफ्ते में मुआयना कर लें। अपनी आंखों से देखें कि व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाएं। जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हैं, उन्हें दोनों डोज लगवाएं। जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होने का कहा गया है। भगवान करे तीसरी लहर न आए, लेकिन हमें पूरी तैयारी रखना है। यदि लोगों ने दोनों डोज लगवा ली तो वे उतने गंभीर बीमार नहीं होंगे कि अस्पताल जाने की नौबत आए।

कोशिश करें, लॉकडाउन न लगे

शिवराज ने कहा, कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, इसलिए पूरे प्रदेश में सजगता और सतर्कता आवश्यक है। हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चितकर कोरोना वायरस का सामना करना है। हमारा प्रयास हो कि लॉकडाउन की स्थिति न बने।

पत्रिका

पत्रिका 8/12/21

गंदे पानी की शिकायत लेकर पहुंचे जनसुनवाई में

रतलाम। स्टेशन रोड क्षेत्र के रहवासी मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में गंदे पेयजल की शिकायत लेकर पहुंचे क्षेत्रवासियों ने बताया कि लगभग 1 महीने से पूरे क्षेत्र में नगर निगम द्वारा नलों से वितरित किया जा रहा पानी बेहद गंदा मटमैला और बदबूदार है क्षेत्रवासियों ने बताया कि स्टेशन रोड के साथ ही सीआईटी रोड पर आसपास के इलाकों में नगर निगम एक दिन छोड़कर एक दिन नलों से जल वितरित कर रहा है महीने में 14 से 15 दिन वितरित किया जा रहा पानी भी उपयोग में लाने जैसा नहीं है उन्होंने बताया कि यह पानी ना केवल बदबूदार है बल्कि रंग से ही मटमैला दिखाई देता है इस पानी के उपयोग से बीमारियों के साथ ही त्वचा पर भी लक्षण होते हैं क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों से लगभग 1 महीने से भी %यादा से दिलों की समस्या को लेकर गुहार लगा रहे हैं बावजूद इसके नगर निगम द्वारा उनकी समस्या पर अब तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है जन सुनवाई के दौरान एसडीएम अभिषेक गहलोत ने नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को मौके पर ही समस्या से अवगत करवाते हुए तत्काल दूषित जल की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।

२१७

राज एक्सप्रेस 8/12/21

54 आवेदनों के निराकरण के लिए विभागों को दिए निर्देश

नलों में आ रहा गंदा पानी, नहीं दे रहे ध्यान

पत्रिका सिटी इश्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में शिकायतों का फिर से अंबार लगने लगा है। जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को 54 आवेदक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई मे अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य सहित अन्य अधिकारियों ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

ताल निवासी हेमंत ने बताया कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। नगर पंचायत ताल का कहना है कि उक्त जमीन पंचायत में दर्ज नहीं है जबकि जमीन पंजीयन का प्रमाण पत्र नगर पंचायत ने ही जारी किया है। उसके पास जमीन का सर्वे नम्बर भी है। ऐसे मे उसकी जमीन से कब्जा हटवाया जाए।

कस्तुरबा नगर निवासी मोहनलाल ने बताया कि उसका मकान मोहनकुंज कस्तूरबा नगर में स्थित है जिसमें एक किरायेदार है तथा किराएदार द्वारा मार्च व जून से नवंबर तक कुल सात माह का किराया नहीं दिया जाकर विद्युत बिल का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही मकान खाली करने का कहने पर वह मकान खाली नहीं करते हुए मकान को क्षतिग्रस्त कर रहा है। अतः कार्रवाई की जाए।

नल में आ रहा गंदा पानी

शहर में नगर निगम द्वारा किए जा रहे जलप्रदाय से जुड़ी शिकायत लेकर एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में पहुंचा। यहां पर जनशक्ति संयोजक राधावल्लभ खण्डेलवाल ने बताया कि जलप्रदाय के दौरान अक्सर गंदा पानी आता है। 2 दिसंबर गुरूवार को स्टेशन रोड, टी.आई.टी रोड, फ्रीगंज, मित्र निवास रोड इत्यादि क्षेत्रों में कीचड़ की तरह गंदा पानी आया जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। रतलाम स्वच्छता अभियान समिति के अध्यक्ष अनोखीलाल कटारिया एवं समाजसेवी मांगीलाल जैन ने बताया कि पूर्व में भी इस बारे में शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रतिनिधि मंडल मे सत्री छिपानी, किरण कापड़िया, अशोक जैन, अशोक शर्मा, कौशिक अग्रवाल आदि उपस्थित थे। पत्रिका

पत्रिका 8/12/21

आदेश जारी

खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण शहर सीमा से 20 तक हटाएं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

आबादी इलाकों में चल रही कबाड़, लकड़ी, प्लास्टिक, तेल, गैस सिलेंडर की दुकान और गोदाम जल्द शहर में दिखाई नहीं देंगी। जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया है। इनके दुकान और गोदाम को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश सिटी एसडीएम, सीएसपी और नगर निगम आयुक्त के द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर दिए हैं। इसमें कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालको, भंडारणकर्ताओं को आदेश दिया है कि 20 दिसंबर तक दुकान व गोदाम शहर सीमा क्षेत्र से बाहर शिफ्ट कर लें। आदेश में ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत इन दुकान व गोदाम का संचालन होने का हवाला दिया है।

बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मोहन नगर में एक एग्रीकल्चर पाइप के

भास्कर

दै. भास्कर 8/12/21

20 दिसंबर तक बाहर शिफ्ट करना होंगे ज्वलनशील चीजों के गोदाम

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण आदि प्रतिबंधित किया गया है। एसडीएम रतलाम शहर, सीएसपी के संयुक्त पत्र व निगमायुक्त द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

मालूम हो 13 अक्टूबर को मोहन नगर में प्लास्टिक पाइप के अवैध गोदाम में आग लग गई थी, जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया था। इसके बाद खतरनाक व अत्यंत ज्वलनशील वस्तुओं के गोदामों को लेकर शहर में सर्वे करवाया गया था। पहले चरण में 50 गोदाम चिन्हित कर संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे। एसडीएम, सीएसपी व निगमायुक्त के पत्र में बताया गया है कि ऐसी घटना से मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरे के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस प्रकार की अग्नि दुर्घटना नहीं हो, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर के आदेश अनुसार अब 20 दिसंबर तक सभी गोदाम शिफ्ट करना होंगे।

इन पर लागू होगा आदेश

नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रविधानों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से संचालित कबाड़ दुकान, गोदाम, लकड़ी के गोदाम, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलिंडर गोदाम एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण। रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में इनका भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

नई.

नईदुनिया 8/12/21

ओमिक्रॉन पर शिवराज का बड़ा बयान

जनवरी माह में आ सकता है नए वैरिएंट का पीक

अवन्तिका।

सभी मंत्रियों को भी कहा- उतर जाओ मैदान में, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए

दैनिक अवन्तिका ▸▸ भोपाल

कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रॉन की आहट से सरकार अलर्ट मोड में है। अगले सात दिनों तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रिमंडल की पूरी कैबिनेट मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों के अध्ययन से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी में इसका प्रभाव पीक पर आ सकता है। लिहाजा तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिले में अस्पतालों के निरीक्षण करें। कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए।कोरोना के नए वैरिएंट का सामना जनभागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र, वेंटिलेटर सहित अन्य सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमारा प्रयास होगा कि इन सबकी जरूरत ही न पड़े। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों का कड़ाई से पालन करने के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रभार वाले जिले में कलेक्टर सहित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक करें। मिलजुल कर संभावित संकट का मुकाबला करेंगे। अस्पतालों में निरीक्षण की रिपोर्ट एक सप्ताह में तैयार कर दें। इस रिपोर्ट पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा कर राज्य स्तर पर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

माह के अंत तक हो शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर के अंत तक 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा। मुख्य रूप से वैक्सीन के दूसरे डोज लगाने के लिए लोगों को [illegible] करने की अभी भी [illegible] है। सरकार ने 8 दिसंबर को फिर से वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला किया है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे प्रभार वाले जिले में किसी एक सेंटर पर जाएं। इससे सकारात्मक माहौल बनता है। बता दें कि मप्र में दूसरा डोज 70% पात्र आबादी को लग चुका है।

थ्री-टी नीति से जीतना है ओमिक्रॉन की जंग

कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इसकी तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने थ्री-टी रणनीति बनाई है। थ्री-टी यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। इसके लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

अवन्तिका। 8/12/21

नोटिस मिला तो गोशाला रोड कालोनी में बनी पुलिया कालोनाइजर ने ही तोड़ दी

नियम विपरीत निर्माण पर मंगलवार को निगम अमला तोड़ने वाला था

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। गोशाला रोड पर नाले के समीप बन रही कालोनी में नियम विपरीत बनाई गई पुलिया को कालोनाइजर ने ही तोड़ दिया। निगम से मिले नोटिस के बाद सोमवार रात से पुलिया तोड़ने का काम शुरू किया गया जो मंगलवार को दिन भर चलता रहा। निगम कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास अमले को लेकर मौके पर भी पहुंचे, लेकिन कालोनाइजर द्वारा निर्माण तोड़ने के चलते निगम अमला वापस आ गया।

मालूम हो कि वर्ष 1956 में गोशाला रोड नाले से पास की जमीन पर जाने के लिए तत्कालीन जमीन मालिक खेमजी-भीमजी ने छोटी पुलिया बनाने की अनुमति ली थी, जो वर्ष 2016-17 नाले की सफाई व अतिक्रमण हटाने के दौरान टूट गई। इसके बाद फिर से निगम से अनुमति ली गई। पुलिया निर्माण के लिए नजूल, टीएनसीपी से स्वीकृति लेने व

गोशाला रोड पर कालोनी में जाने के लिए बनाई गई पुलिया तोड़ते हुए कालोनाइजर के कर्मचारी। ● नईदुनिया

पुलिया का नक्शा शासकीय इंजीनियरिंग कालेज से स्वीकृत डिजाइन व स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लेकर निगम के सुपरविजन में निर्माण करवाने की शर्त थी, जिसका पालन नहीं किया गया। इसकी शिकायत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को की गई थी। निगम कार्यपालन यंत्री व्यास ने बताया कि कालोनाइजर द्वारा पुलिया तोड़ने से निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। न.दि.

सूदखोरों पर कार्रवाई की तैयारी

भोपाल में सूदखोरी के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद सीएम के निर्देश पर अब सूदखोरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर जिले से लगातार शिकायत मिल रही है। इस बार सूदखोरों द्वारा किए गए निवेश, निर्मित संपत्ति की भी पहचान की जा रही है। जनसुनवाई में भी सूदखोरी की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रतलाम शहर में सर्वाधिक मामले हैं। प्रशासन व पुलिस संयुक्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।

चालू फैक्ट्री को मास्टर प्लान में वाणिज्यिक आवासीय बताना गलत

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मास्टर प्लान 2035 में पावर हाउस रोड स्थित आइस फैक्ट्री की भूमि को आवासीय-वाणिज्यिक बताने पर आपत्ति ली गई है। गोशाला रोड निवासी गोवर्धन लोहिया ने कलेक्टर को गत दिवस की गई शिकायत में बताया कि नगर व ग्राम निवेश विभाग से सांठगांठ कर आइस फैक्ट्री की भूमि को मास्टर प्लान में वाणिज्यिक-आवासीय बताया गया है। रतलाम राज्य द्वारा बर्फ कारखाने के लिए 99 साल की लीज पर जमीन दी गई थी। इस पर 75 वर्ष से बर्फ कारखाना संचालित है। कारखाना चालू होने के बावजूद भूमि का प्रयोजन बदलना गलत है। इससे शासकीय भूमि की हेराफेरी की आशंका है।

99 साल की लीज पर जमीन दी गई थी रतलाम राज्य द्वारा बर्फ कारखाने के लिए

75 वर्ष से बर्फ कारखाना संचालित है

गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री कराने पर जावरा में दर्ज हुआ था प्रकरण: मालूम हो कि सितंबर माह में जावरा तहसील के ग्राम लुहारी में स्थित भूमि पर अगरबत्ती कारखाना होने की जानकारी छुपाते हुए खाली जमीन की रजिस्ट्री कराने पर आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। विक्रित भूमि पर 850 वर्गमीटर में अगरबत्ती कारखाना बना हुआ था। क्रेता व विक्रेता पक्ष ने गलत जानकारी के आधार पर विक्रय पत्र पंजीयन कराया तथा खुली भूमि का फोटो अपलोड किया। पुलिस ने आरोपित विक्रेता यूसुफ अली पुत्र शब्बीर हुसैन निवासी अकबर मकबरा जावरा और क्रेता हाजरा पत्नी बुरहान दलाल व फातेमा धनवाना पत्नी मुस्तफी अली हुसैन दोनों निवासी बुरहानी मोहल्ला, भरावा कुई रतलाम के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

नईदुनिया 8/12/21

सिटी ट्रैफिक • 20 नवंबर को प्लान बना, 3 दिन में लागू करना था, 17 दिन बाद भी यातायात बेहाल क्योंकि...

ना सब्जी मंडियां हटा पाए और ना अतिक्रमण, वन-वे की प्लानिंग सुस्त, कस्तूरबानगर , घास बाजार, नौलाईपुरा में लगता है जाम

समाधान : शहर की सभी प्रमुख सड़कें चौड़ीं और खराब ट्रैफिक सिग्नल चालू हों, चौराहों की रोटरियां ठीक करना जरूरी

सुगम हो शहर का ट्रैफिक

भास्कर संवाददाता | रतलाम

हमेशा की तरह शहर की बेलगाम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने 17 दिन पहले अफसर, नेता और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा मिलकर बैठकर बनाया प्लान फाइलों में बंद होकर रह गया है। तीन दिन में व्यवस्था बनाकर और सात दिन तक ट्रायल कर प्लान लागू करना था। यातायात बेहाल है। कस्तूरबा नगर तिराहा, घास बाजार और नौलाईपुरा जैसे इलाकों की सड़कों पर बार-बार जाम की समस्या बरकरार है। दो बत्ती और सैलाना बस स्टैंड चौराहा पर लगे सिग्नल खराब है। माणकचौक का वन-वे प्लान अधूरा है। स्थाई-अस्थाई कब्जा हटाकर सड़कों को चौड़ा करने, खराब सिग्नलों और चौराहे की रोटरियों को ठीक करने से समस्या का समाधान हो सकता है।

कस्तूरबानगर : सिग्नल की अब तक प्लानिंग भी नहीं

अभी हाल - दिन में 10 से 12 बार यातायात जाम लगता है, ऑफिस टाइम में तो ट्रैफिक जवानों को मोर्चा संभालना पड़ता है।

ऐसा क्यों - एक तरफ सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है, दूसरी तरफ लक्ष्मणपुरा रोड सीवरेज के काम से बंद है। ऐसे में विरियाखेड़ी और जवाहरनगर के आसपास की कॉलोनियों के लोग कस्तूरबानगर तिराहे से आवाजाही कर रहे हैं। यातायात ज्यादा हैं, कॉलोनियों का अतिरिक्त लोड आ गया है।

समाधान - कस्तूरबा नगर तिराहे पर सिग्नल लगाए जाए। राम मंदिर के पीछे वाले सब्जी मंडी दूसरी जगह शिफ्ट हो, गुजरात स्वीट्स और चार बत्ती चौराहा तरफ से वन-वे ट्रैफिक निकाला जाए।

नौलाईपुरा : संकरी सड़क और उस पर अतिक्रमण

अभी हाल - गणेश देवरी से चौमुखी तक जा रहे 450 मीटर लंबे नौलाईपुरा में 35 से ज्यादा ठेलागाड़ी वाले सड़क पर खड़े होकर व्यापार कर रहे। दोनों तरफ के दुकानदारों ने दुकानों के आगे चार से पांच फीट तक कपड़े व अन्य सामान रख देते हैं।

ऐसा क्यों - यह क्षेत्र का सबसे व्यस्ततम बाजार है। जोकि चांदनीचौक-पोरवाड़ों का वास को भी जोड़ता है। साड़ियों और सोने के लिए यह क्षेत्र प्रमुख है। यहां ऑटो चालक के फेरे सबसे ज्यादा लगते है, कईबार तो ऑटो की लंबी कतारें लग जाती है। लोडिंग वाहन भी दिन में आ रहे है। ठेला गाड़ी भी जाम का कारण बनती है।

समाधान - वन-वे सिस्टम लागू हो, लोडिंग वाहन रात 8 बजे बाद ही प्रवेश कर सके।

धानमंडी : रोड पर खड़े हैं लोडिंग वाहन, लगता है जाम

अभी हाल - धानमंडी में रोड पर ही लोडिंग वाहन खड़े रहे, दिन में कई बार जाम की नौबत बनीं।

ऐसा क्यों - यह क्षेत्र व्यवसायिक है। ऐसे में लोडिंग वाहन की आवाजाही दिनभर होती है। वहीं, बाजार क्षेत्र को जोड़ने के लिए यह प्रमुख रोड है। ऐसे में जाम की नौबत बनती है।

समाधान - लोडिंग वाहन का प्रवेश रात 8 बजे बाद बंद हो, पार्किंग व्यवस्थित होनी चाहिए।

*पार्किंग लाइन डाल रखी है, इससे बाहर खड़े रहने वाले वाहनों के चालान बना रहे है। सब्जी मंडियों की शिफ्टिंग नहीं हुई, इसलिए प्लान आगे नहीं बढ़ा है। - **मोनिका सिंह**, प्रभारी ट्रैफिक*

भास्कर

दै.भास्कर 8/12/21